**राजस्थान सरकार**
**नगरीय विकास विभाग**

**क्रमांक** :–प.18(12)नविवि / विविध / 2023 **जयपुर, दिनांक** 09 OCT 2023

सचिव,
जयपुर / जोधपुर / अजमेर
विकास प्राधिकरण।

सचिव,
राजस्थान आवासन मण्डल,
राजस्थान जयपुर।

सचिव,
नगर विकास न्यास,
अलवर, बीकानेर, भरतपुर, भीलवाडा, कोटा, आबू,
श्रीगंगानगर, चित्तौडगढ़, जैसलमेर, उदयपुर,
बाडमेर, सीकर, पाली, सवाईमाधोपुर।

मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान जयपुर।

**विषय** :– विधानसभा आम चुनाव 2023 नई योजनाओं की घोषणा– वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध के संबंध में।

**संदर्भ** : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ.3(1)(9)प्रथम / निर्वा / 2023 / 6108 दिनांक 08.10.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राज्य में विधानसभा आम चुनाव 2023 निकट भविष्य में सम्पन्न होने है। आगामी विधानसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगीं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की सूचना भारत निर्वाचन आयोग की राजकीय वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी साथ ही आपको विभाग द्वारा सूचना दे दी जायेगी तथा मीडिया के माध्यम से भी इसकी सार्वजनिक जानकारी हो जायेगी।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 437 / 6 / 2009–CC&BE दिनांक 05.03.2009, पत्रांक 437 / 6 / 23 / 2004 PLN. III दिनांक 11.03.2004 एवं 437 / 6 / 1 / 2014–CC&BE दिनांक 05.03.2014 में नई योजनाओं की घोषणा एवं वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं, साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की Manual on Model Code of Conduct, March 2019 पुस्तिका के अध्याय–05 में निर्वाचन की घोषणा पर आदर्श आचार संहिता के तहत् नई योजनाओं / परियोजनाओं की घोषणा पर तथा साथ ही नई राहत देने पर भी रोक हैं। आयोग ने निर्देश दिया हैं कि मंत्री एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करेगें, उनके वायदे नहीं करेगें, किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशिला आदि नहीं रखेगें, **निशुल्क अथवा रियायती पट्टा जारी एवं संदत्त नहीं करेगें** एवं किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को भूमि आंवटन नहीं करेंगे, सड़कों के निर्माण, पेयजल की सुविधा आदि का कोई वायदा नहीं करेगें, जिनका उद्देश्य सताधारी दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करना हो आदि के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है, जिनकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके संदर्भित पत्रांक 05.03.2009 के बिन्दु संख्या 03 द्वारा निम्न निर्देश प्रसारित किये गये हैं:–

**After the Model Code of Conduct comes into effect, the Ministry of Finance will need to take prior approval of the Commission on any policy announcements, fiscal measures, taxation related issues and such other financial relief. Similarly, other Ministries/Departments will need to take prior approval of the Commission before announcing any relief/benefit.**

आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार

**भवदीय,**

**(जुगल किशोर मीणा)**
**संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय**

प्रतिलिपि:– वरिष्ठ शासन उप सचिव को प्रेषित कर लेख है कि कृपया संबंधित को ई–मेल द्वारा सूचित किया जाना सुनिश्चित करावें।

**संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय**

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

जयपुर, दिनांक: 08.10.23

एफ 3.(1)(9)प्रथम/निर्वा/2023/6108

**प्रेषक** : **मुख्य निर्वाचन अधिकारी**
राजस्थान, जयपुर।

**प्रेषिति** :

मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार
जयपुर।

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार

: महानिदेशक, पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

समस्त अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/सचिव
बोर्ड/आयोग/निगम राजस्थान
समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।

समस्त संभागीय आयुक्त,
राजस्थान।

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर्स) राजस्थान

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी,
(NIC) सचिवालय, जयपुर।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
राजस्थान, जयपुर।

**विषय** : विधानसभा आम चुनाव, 2023 –नई योजनाओं की घोषणा– वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध के संबंध में।
**संदर्भ** : विभाग के पूर्व पत्रांक 3.(1)(9)प्रथम/निर्वा/2023/5615 दिनांक 24.09.2023

**महोदय,**

विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य में विधानसभा आम चुनाव, 2023 निकट भविष्य में सम्पन्न होने है। आगामी विधानसभा आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी, जो निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगीं। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की सूचना भारत निर्वाचन आयोग की राजकीय वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी साथ ही आपको विभाग द्वारा सूचना दे दी जायेगी तथा मीडिया के माध्यम से भी इसकी सार्वजनिक जानकारी हो जायेगी।

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 437/6/2009-CC&BE दिनांक 05.03.2009, पत्रांक 437/6/23/2004 PLN. III दिनांक 11.03.2004 एवं 437/6/1/2014-CC&BE दिनांक 05.03.2014 में नई योजनाओं की घोषणा एवं वित्तीय और प्रशासनिक मामलों पर प्रतिबंध के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं, साथ ही भारत निर्वाचन आयोग की Manual on Model Code of Conduct, March 2019 पुस्तिका के अध्याय–05 में निर्वाचन की घोषणा पर आदर्श आचार संहिता के तहत् नई योजनाओं/परियोजनाओं की घोषणा पर तथा साथ ही नई राहत देने पर भी रोक हैं। आयोग ने निर्देश दिया हैं कि मंत्री एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करेगें, उनके वायदे नहीं करेगें, किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशिला आदि नहीं रखेगें, निशुल्क अथवा रियायती पट्टा जारी एवं संदत्त नहीं करेगें एवं किसी भी संस्था अथवा व्यक्ति को भूमि आंवटन नहीं करेंगे, सड़कों के निर्माण,

प्रेयजल की सुविधा आदि का कोई वायदा नहीं करेगें, जिनका उद्देश्य सताधारी दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करना हो आदि के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये है, जिनकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके संदर्भित पत्रांक 05.03.2009 के बिन्दु संख्या 03 द्वारा निम्न निर्देश प्रसारित किये गये हैं:–

**After the Model Code of Conduct comes into effect, the Ministry of Finance will need to take prior approval of the Commission on any policy announcements, fiscal measures, taxation related issues and such other financial relief. Similarly, other Ministries/Departments will need to take prior approval of the Commission before announcing any relief/benefit.**

आदर्श आचार संहिता प्रभाव में रहने के दौरान उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें। साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों से भी यह अपेक्षा है कि वे अपने प्रशासनिक नियन्त्रणाधिन गठित समस्त बोर्ड, आयोग, निगम आदि निकायों में भी इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराते हुए सभी संबंधित को तदनुसार निर्देशित करावें।

**संलग्न : उपरोक्तानुसार**

भवदीय,

**(प्रवीण गुप्ता)**
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।
8/10